

प्रेस विज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ रेल कॉरीडोर परियोजना हेतु की जा रही भूमि अधिग्रहण के संबंध में रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (A) के तहत जारी अधिसूचना के विरुद्ध प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में दिनांक 17.02.2016 को प्रातः 11:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय भू-तल स्थित कक्ष क्रमांक 05 में सुनवाई किया जाना है । अतः कृपया आपत्तिकर्ता उक्त तिथि को निर्धारित समय पर समस्त आवश्यक दस्तावेज सहित उपस्थित हों । अनुपस्थिति की दशा में यह माना जावेगा कि आपको प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में आगे कुछ नहीं कहना है । यह मानते हुए आपके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति को निरस्त कर दी जावेगी । तथा इसके लिए आगे कोई सुनवाई नहीं की जावेगी ।

अतिरिक्त कलेक्टर
एवं सक्षम प्राधिकारी
विशेष रेल परियोजना
गेवरा रोड-पेन्द्रारोड

कार्यालय कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी कोरबा छत्तीसगढ़

क्रमांक/1643/भू-अर्जन/2016

दिनांक कोरबा 04/02/2016

प्रति,

01. जनसंपर्क अधिकारी कोरबा को सूचनार्थ । कृपया प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क कराने का कष्ट करें ।

02. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0) जिला कोरबा को सूचनार्थ । कृपया सूचना का प्रकाशन जिले के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें ।

1915

06/02/16

अतिरिक्त कलेक्टर
एवं सक्षम प्राधिकारी
विशेष रेल परियोजना
गेवरा रोड-पेन्द्रारोड